कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल सामान्य वनमंडल (म.प्र.)
पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001
E-Mail dfotsbetul@mp.gov.in Fax & Phone : 07141-234266

क्रमांक/मा.चि./ 1775 बैतूल, दिनांक 18/11/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
वन भवन, भोपाल

विषय :– बैतूल जिले के अन्तर्गत **''मेढ़ा मध्यम परियोजना''** के निर्माण हेतु 20.140 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्र./FP/MP/IRRIG/37074/2018)

संदर्भः–
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्र./6–REC10/2014-BHO/Part-III/262 दिनांक 07.10.2023
2. आपका पत्र क्र./एफ–3/17/2019/10–11/2/4811 दिनांक 27.10.2023
3. कलेक्टर भू–अभिलेख बैतूल का पत्र क्र./2524/भू.अभि.2/मेंढा परि./2024 दिनांक 20.09.2024
4. वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल का पत्र क्र./मा.चि./1270 दिनांक 07.10.2024

–00–

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्रानुसार REC की बैठक के तारतम्य में प्रकरण में अतिरिक्त 02 बिन्दुओं की आपके संदर्भित पत्र से चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :–

1- **The DFO shall revisit the proposed diversion area and verify whether the User Agency has carried out any work on forest area or whether the forest boundary of KML is shifted. If the forest boundary of KML is shifted then correct KML file to be submitted/ uploaded accordingly.**

टीप :–(i) उक्त बिन्दु के संदर्भ में कार्यालयीन पत्र क्र./मा.चि./1510 दिनांक 31.10.2023 से आवेदित स्थल वनकक्ष क्रमांक–पी.–1101 की KML File के तकनीकी परीक्षण कर निर्माण कार्य वनक्षेत्र के अंदर अथवा बाहर होने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) भोपाल से अनुरोध किया गया। **(प्रदर्श–01)**

(ii) उक्त पत्र के तारतम्य में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) भोपाल द्वारा उनके पत्र क्र./सू.प्रौ./1179 दिनांक 18.12.2023 (जो आपको भी पृष्ठांकित) से मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त बैतूल को वृत्त स्तरीय समिति का गठन कर समस्त सुसंगत अभिलेखों के आधार पर मौका स्थल का सत्यापन कराकर निर्णय से मुख्यालय एवं वनमंडल कार्यालय को अवगत कराने हेतु लेख किया गया। **(प्रदर्श–02)**

(iii) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) भोपाल के उपरोक्त निर्देशानुसार वनसंरक्षक वन वृत्त बैतूल द्वारा उनके आदेश क्र./मा.चि./2023/298 दिनांक 21.12.2023 से वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल की अध्यक्षता में वन वृत्त स्तरीय समिति गठित कर प्रकरण में मौका स्थिति का सर्वे कर पुरानी एवं नवीन कार्य आयोजना से मिलान कर निर्णय से अवगत कराने हेतु आदेशित किया गया। **(प्रदर्श–03)**

(iv) वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल एवं समिति अध्यक्ष द्वारा उनके पत्र क्र./मा.चि./2024/1327 दिनांक 04.10.2024 से विषयान्तर्गत आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण अग्रिम कार्यवाही हेतु वन संरक्षक वन वृत्त, बैतूल को प्रेषित किया गया। **(प्रदर्श–04)**

(v) वन संरक्षक वन वृत्त, बैतूल द्वारा उनके पत्र क्र./मा.चि./2024/1270 दिनांक 07.10.2024 से विषयांकित सम्पूर्ण प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) भोपाल को प्रेषित किया गया। **(प्रदर्श–05)**

2- **A transmission line passing through CA area, the concerned DFO shall verify whether the said transmission line has valid FC approval.**

टीप :— विषयांकित प्रकरण में परियोजना अंतर्गत प्रभावित वनभूमि के एवज् में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ग्राम—चापड़ा रैयत, तहसील—शाहपुर के खसरा नम्बर—17/1 रकबा—9.28 तथा खसरा नम्बर—17/2, रकबा 44.28 कुल रकबा 53.56 में से 40.280 हे. भूमि उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल के अंतर्गत होने से जानकारी कार्यालय वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल से संबंधित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(विजयानन्तम टी.आर.)
भा.व.से
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

पृ.क्रमांक/मा.चि./ **बैतूल, दिनांक /11/2024**

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक—2 बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

प्रपत्र-(01)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल सामान्य वनमंडल (म.प्र.)
पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001
E-Mail dfotsbetul@mp.gov.in Fax & Phone : 07141-234266

क्रमांक/मा.चि./ 1510 बैतूल, दिनांक 31/10/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(सूचना प्रौद्योगिकी)
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय :– बैतूल जिले के अन्तर्गत **''मेढ़ा मध्यम परियोजना''** के निर्माण हेतु 20.140 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्र./FP/MP/IRRIG/37074/2018)

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्र./6–MPR-025/2022–बी.एच.ओ. दिनांक 14.10.2022
2. क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक 27.09.2023

–00–

विषयान्तर्गत निवेदन है कि क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक 27.09.2023 में विषयांकित प्रकरण के संबंध में हुई चर्चा में व्यपवर्तन हेतु आवेदित स्थल वनकक्ष क्रमांक–पी.–1101 की KML File के अवलोकन में वनक्षेत्र में निर्माण कार्य होने से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत हो रहा है। अथवा वनक्षेत्र की KML File Shifted होने से अनुमति पूर्व वनभूमि पर कार्य होना त्रुटिवश प्रतीत हो रहा है। उक्त कारण से प्रकरण को समिति द्वारा स्थगित कर दिया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वर्तमान में सम्पादित निर्माण कार्य की KML File संलग्न प्रेषित है। जिसका तकनीकी परीक्षण कर अवगत कराने का कष्ट करें की निर्माण कार्य वनमंडल के ताप्ती वन परिक्षेत्र की वनसीमा/वनक्षेत्र के अंदर है अथवा बाहर? ताकि तदनुसार वरिष्ठ कार्यालय को समिति की अनुशंसा बिन्दु–01 की जानकारी प्रेषित कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सकें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(विजयानन्तम टी.आर.)
भा.व.से
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 1511 **बैतूल, दिनांक** 31-10-23

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की विषयांकित बैठक के बिन्दु क्रमांक–02 की जानकारी वनमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि दोनों ही बिन्दुओं की जानकारी वरिष्ठ को प्रेषित की जा सकें।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–2 बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

T.d.c.

प्रकरण-(02

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (शाखा–सूचना प्रौद्योगिकी)
वन भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक / सू.प्रौ. / 1179 .... भोपाल, दिनांक : 18 / 12 / 2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
वृत्त वन
बैतूल (म.प्र.)

विषय— बैतूल जिले के अंतर्गत "मेढ़ा मध्यम परियोजना" के निर्माण हेतु 20.140 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्र./FPMP/IRRIG/37074/2018)

संदर्भ— वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल सा. वनमंडल का पत्र क्र. 1510 बैतूल दिनांक 31 / 10 / 2023।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेढ़ा मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 20.140 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने हेतु चयनित स्थल की KML वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रेषित की गई है। वर्तमान कार्य आयोजना के नक्शों के साथ KML को Superimpose करने पर स्पष्ट देखा जा सकता है की उक्त KML वनक्षेत्र के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहा है। (संलग्न परिशिष्ट अ)

परंतु वनखण्ड के मानचित्र एवं विगत 3 कार्यकरण योजना / कार्य आयोजना के मानचित्रों का अवलोकन करने पर एवं पूर्व की कार्य आयोजना के साथ KML को Superimpose करने पर स्पष्ट होता है की उक्त KML का क्षेत्र, वनक्षेत्र के बाहर प्रदर्शित हो रहा है। (संलग्न परिशिष्ट ब,स,द,ई)

अतः इस प्रकरण के लिए मौका स्थिति का सर्वे कराकर पुराने एवं नवीन कार्य आयोजना से मिलान कर निर्णय लिया जा सकता है।

इस हेतु वृत स्तर पर एक तकनीकी समिति का गठन कर समस्त सुसंगत अभिलेखों के आधार पर मौका स्थिति का सत्यापन कराकर निर्णय से इस कार्यालय एवं वनमंडल कार्यालय को अवगत कराये जाना सुनिश्चित करें।

हि 18/12/23
(डॉ.बी.एस. अन्निगेरी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (सूचना प्रौद्योगिकी)
भोपाल, (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / सू.प्रौ. / ...1180........... भोपाल, दिनांक : 12 / 18 / 2023

1. अ.प्र.मु.व.स.(भू प्रबंध) की ओर आवश्यक सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हि 18/12/23
(डॉ.बी.एस. अन्निगेरी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (सूचना प्रौद्योगिकी)
भोपाल, (म.प्र.)

प्रपत्र (03

वन संरक्षक वन वृत्त बैतूल द्वारा पारित आदेश

आदेश क्र./मा.चि./2023 298 बैतूल दिनांक 21/12/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (शाखा–सूचना प्रौद्योगिकी) वन भवन भोपाल के पत्र क्र./सू. प्रौ/1179 दिनांक 18.12.2023 में दिये गये निर्देशानुसार बैतूल जिले के अंतर्गत " मेंढा मध्यम परियोजना " के निर्माण हेतु 20.140 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने के संबंध में प्रकरण क्र.FP/MP/IRRIG/37074/2018 में परीक्षण हेतु निम्नानुसार वृत्त स्तरीय समिति गठित की जाती हैः–

1. वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सा0 वनमंडल – अध्यक्ष
2. वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल सा0 वनमंडल – सदस्य
3. वनमंडलाधिकारी पश्चिम बैतूल सा0 वनमंडल – सदस्य
4. परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती सा0 परिक्षेत्र – सदस्य
5. दीपक अड़लक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी दक्षिण बैतूल सा0 वनमंडल – सदस्य

उपरोक्त समिति वनखंड के मानचित्र एवं विगत 3 कार्यकरण योजना/कार्य आयोजना के मानचित्रो का अवलोकन करने एवं पूर्व की कार्य आयोजना के साथ KML को Superimpose करने पर स्पष्ट होता है कि उक्त क्षेत्र वन क्षेत्र के बाहर प्रदशित हो रहा हैं अतः आप इस प्रकरण के लिए मौका स्थिति का सर्वे कर पुराने एवं नवीन कार्यआयोजना से मिलान कर निर्णय से अवगत करावे कि उक्त प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन हो रहा है नही ।

(रमेश गणावा)
वन संरक्षक,
वन वृत्त बैतूल

पृ.क्र/मा.चि/2023/ 4273 दिनांक 21/12/23

प्रतिलिपिः– 1. अध्यक्ष/सदस्य वृत्त स्तरीय समिति सह वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण/पश्चिम सा0 वनमंडल की ओर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (शाखा–सूचना प्रौद्योगिकी) वन भवन भोपाल के पत्र क्र./सू.प्रौ/1179 दिनांक 18.12.2023 के प्रति की छायाप्रति सहित सूचनार्थ अग्रेषित।

2. वनपरिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती सा. परिक्षेत्र/दीपक अड़लक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी दक्षिण बैतूल सा0 वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक,
वन वृत्त बैतूल

प्रपत्र-(04)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141—234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2024 / 1327 बैतूल, दिनांक/ 5/10/24

प्रति,

वन संरक्षक,
बैतूल वृत्त बैतूल

विषय :- बैतूल जिले के अंतर्गत मेढा मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 20.140 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत् ऑनलाईन प्राप्त प्रकरण (प्रकरण क्रमांक - FP/ MP/ IRRIG /37074 / 2018)

संदर्भ :- आपका आदेश क्रमांक / माचिं. / 2023 / 298 दिनांक 21.12.2023

--00--

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र आदेश के परिपालन में गठित समिति की बैठक दिनांक 01.10.2024 को आयोजित की गई। आयोजित की गई बैठक का कार्यवाही विवरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(देवांशु शेखर)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

पृ.क्र./मा0चि0/2024/ 1328 बैतूल, दिनांक/ 5/10/24

प्रतिलिपि :- 1.- वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2.- कार्य पालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक – 2 बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

प्रदर्श-05

Dmu

कार्यालय वन वृत्त, बैतूल (म.प्र.)

कार्यालय : टेलीफोन / फैक्स (07141) 234396 ccf.btl@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 1270 बैतूल, दिनांक / 7/10/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(शाखा—सूचना प्रौद्योगिकी)
वन भवन भोपाल

विषयः बैतूल जिले के अंतर्गत " मेंढ़ा मध्यम परियोजना" के निर्माण हेतु 20.140 हेक्टेयर वनभूमि जलसंसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।(प्रकरण क्र./FP/MP/IRRIG/37074/2018)

संदर्भः आपका पत्र कमांक सू.प्रौ. / 1179 दिनांक 18.12.2023।

==000==

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि, " मेंढ़ा मध्यम परियोजना" के निर्माण हेतु 20.140 हेक्टेयर वनभूमि जलसंसाधन विभाग को उपयोग पर देने हेतु चयनित स्थल की वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल द्वारा प्रेषित KML वनक्षेत्र के अंतर्गत प्रेषित हो रही है एवं वनखंड के मानचित्र एवं विगत 3 कार्यकरण योजना/ कार्य आयोजना के मानचित्रो का अवलोकन करने पर एवं पूर्व की कार्य आयोजना के मानचित्रो कर अवलोकन करने पर एवं पूर्व की आयोजना के साथ KML को Superimpose करने पर वन क्षेत्र के बाहर प्रदर्शित हो रही है का लेख करते हुए सुसंगत अभिलेखो के आधार पर मौका स्थित का सत्यापन कराकर निर्णय से अवगत कराने बाबत लेख किया गया है।

संदर्भित पत्र के परिपालन में वृत्त स्तरीय समिति गठित की जाकर प्रकरण में मौका सत्यापन करवाकर प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

सहपत्रः— उपरोक्तानुसार।

(पी.एन.मिश्रा)
वन संरक्षक,
वन वृत्त बैतूल

पृष्ठां.क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 1271 बैतूल,दिनांक / 7/10/2024

प्रतिलिपिः—वनमण्डलाधिकारी (उत्तर / दक्षिण) बैतूल सा0 वनमंडल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वन संरक्षक,
वन वृत्त बैतूल